



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022026-270397
CG-DL-E-21022026-270397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 852]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947

No. 852]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2026

का.आ. 892(अ).— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (e) के उप-खंड (v) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, सैन्य स्टेशन तेजपुर की यूनिटों के लिए मुख्य स्थान योजना, की स्थापना सोलमारा (तेजपुर), जिला सीनितपुर, असम में 425.296 एकड़ निजी भूमि के अर्जन लिए उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन 'समुचित सरकार की शक्तियों का प्रयोग और इसके कृत्यों का निर्वहन करेगा।

[फा. सं. 13014/4/2025-एलआरडी]

आर. आनंद, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**(Department of Land Resources)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2026

S.O. 892(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby notifies that the Ministry of Defence shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the 'appropriate Government under the said Act and the rules made thereunder, for acquisition of private land measuring 425.296 acres at Solmara (Tezpur), Districts-Sonitpur, Assam for establishment of Key Location Plan for the units of Tezpur Military Station.

[F. No. 13014/4/2025-LRD]

R. ANAND, Addl. Secy.